MR. DEPUTY-SPEAKER: Clause 2. I think they have all agreed that amendments will not be moved. Anyway I will call them. Shri Ramavatar Shastri, Shri Daga—their amendments are not moved. Now, I will put the clauses to the vote. The question is:

> "That clauses 2 to 27 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 *to* 27 *were added to the Bill..*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI BHOLA PASWAN SHASTRI: I beg to move:

> "That the Bill be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill be passed".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Private Members' Business.

15.36 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS —*Contd.*

THIRTY-FIFTH REPORT

SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar): I move:

> "That this House do agree with the Thirty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th December, 1973."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th December, 1973."

The motion was adopted.

15.37 hrs.

RESOLUTION RE. NEED-BASED MINIMUM WAGES FOR WORKERS —*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further discussion of the following resolution moved by Dr. Saradish Roy on the 7th December, 1973.

> "This House expresses its grave concern at the falling real wages of the Indian Workers consequent to the abnormal rise in prices of essential commodities and failure of the Government to grant need-based minimum wages to the workers on the basis of norms laid down by the Fifteenth Indian Labour Conference"

Dr. Saradish Roy to continue his speech.

DR. SARADISH ROY (Bolpur): Sir, at the outset, let us see what the Constitution of India provides as living wage, etc., for the workers. In the Directive Principles of State Policy, article 43 of the Constitution provides as follows:

> "The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities..." etc.

This is the provision in the Constitution. Now, in the Constituent Assembly, necessary caution was given at the time of the acceptance of the draft directive principles in these words by Dr. Ambedkar; I quote:

> "Su ely it is not the intention to introduce in this part these principles as mere pious declaration. It is the intention of the Assembly that in future both the legislative and the executive should not merely pay lip service to these principles but that they should be made the basis of all legislative and executive action."

Sir, in essence, this declaration assured the workers that where they would not be able to secure for themselves a living wage and the Government, through legislation or by other means, will come to their aid. But even after two decades since the Constitution was

[Dr. Saradish Roy]

adopted, no endeavour has been made either by the Government at the Central level or by any government at the State level, or any employer, to ensure a living wage to the working people in this country. That is not all.

Most of the employees in the public or the private sector are deprived of their minimum wage required for bare sustenance, and as a result of that, their families are compelled to live below the poverty line. The living wage is the goal to be achieved as per the Directive Principles of our Constitution. But today, we are not talking on that objective. We are talking of the minimum wage below which an employee must not go and ceiling level there is the living wage which is the goal we have to achieve. The need-based minimum wage is the first step to a fair wage. The Central Government in 1948 appointed a Committee on Fair Wages which defined the minimum wage as follows:

> "The minimum wage must provide not merely for the sustenance of life but for the preservation of efficiency of the worker by providing for some measure of education, medical requirements and amenities."

The Committee on fair wages offered a clear-cut definition but it was found difficult to quantify it. This hurdle was removed in the Indian Labour Conference in 1957. This Conference was presided over by the then Labour, Employment and Planning Minister, Shri Nanda and attended by the Minister of Industry, Minister of Railways, Minister of Transport and Communications, Minister of Steel, Mines and Fuel, and Minister of Works, Housing and Supply. The Secretaries of the different departments of the Government of India were represented there as delegates. Even the State Governments were represented there as delegates. The workers were represented by the All India Trade Union Congress, the Indian National Trade Union Congress, the Hind Mazdoor Sabha and the United Trade Union Congress. The employers were represented by their various organisations. This conference adopted the following resolution:

> "With regard to the minimum wage fixation, it was agreed that the minimum wage was 'need-based' and should ensure the minimum human needs of the industrial worker irrespective of any other consideration. To calculate the minimum wage the Committee accepted the following norms and recommended that they should guide all wage fixing authorities, including minimum wage committees, wage boards, adjudicators, etc.
>
> i. In calculating the minimum wage, the standard working class family should be taken to consist of 3 consumption units for one earner; the earnings of women, children and adolescents should be disregarded.
>
> ii. Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net intake of 2700 calories as recommended by Dr. Akroyd for an average Indian adult of moderate activity.
>
> iii. Clothing requirements should be estimated at a *per capita* consumption of 18 yards per annum which would give for the average workers' family of four, a total of 72 yards.
>
> iv. In respect of housing the norm should be the minimum rent charged by Government in any area for houses provided under the subsidised industrial housing scheme for low income groups.
>
> v. Fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20% of the total minimum wage."

This resolution was adopted about 17 years ago, but it has not been implemented. This resolution was adopted at a time when the Second Five Year Plan started its operation, when huge foreign money was injected in our national economy, when new investment started with deal and enthusiasm by monopoly houses, both Indian and foreign and when project after project started being constructed throughout the country. So, naturally there was buoyancy in our economic activity. During the reconstruction period when huge economic activity started, Government of India correctly assessed the position and came to the conclusion that without the active cooperation of the working class, it would not be possible to fulfil the Plan and economic activity. It, therefore, decided that a tripartite conference should enunciate a policy, which they did not mean seriously to implement. It was meant to allure the working class and get their cooperation in order to fulfil their objective. It was

meant not to be implemented. Since then not a single industry in our country has implemented these norms enunciated in the resolution passed at the 15th Indian Labour Conference. Since then workers' organisations and organisations of employees in the Government sector have been agitating for a need-based wage. On every occasion the Government came down with a heavy hand, engaged police and military to suppress this movement.

Even the Second and Third Pay Commission rejected the demand for a need-based minimum wage on the plea that the minimum remuneration prescribed is appreciably above the minimum consumption requirement, as estimated in the document "Approach to the Fifth Five Year Plan".

This subject is of extreme importance to the entire working class of India for which the trade union movement has been agitating since long.

The skyrocketting prices of essential commodities is not an accidental phenomenon. It is a direct result of the policies pursued by the Government since independence. The statistics compiled by the Labour Bureau clearly show that despite several monetary wage concessions won by the workers, the real wages of Indian workers stood at two per cent less in 1970 as compared to 1960. After 1970 there has been further erosion in the real wages of workers and today we see the workers pay packet in real terms has become far smaller than in 1960. As a matter of fact, it is even smaller compared to 1939, if official statistics are taken into account.

The organised sections of the working class at least has got some linking of dearness allowance with the price index. But the conditions of unorganised workers are pretty bad and they are just left unprotected from the caprices of speculators and hoarders. The decline in their standard of life is unprecedented. Already an official survey claimed 40 per cent of the people to be living below the poverty line. Now the proportion would show a further rise and practically nothing is being done to mitigate the privations of these sections of our people.

What is more surprising is that the Government is showing utter callousness in dealing with this problem. The Prime Minister herself has been almost every day making statement that the "worst is over", "we have turned the corner" etc. She has also been accusing the opposition for exaggerating the situation and inciting the working class and the people. The reality, however, is that the Government has been callously hiding the facts from the people with a view to hoodwing them. The complacency shown by the Government, I consider, is fraught with dangerous consequences.

The Fifth Plan does not promise anything but empty pious wishes for our working class. Despite Government's assurances, the prices of essential commodities are bound to show further upswing in days to come. If the Government thinks that the Indian workers will tolerate the rise with meek submission, it is greatly mistaken. It is bound to face heavy resistance from all sections of our working class, who have been hit hard by the official policies. The Government, therefore, can ignore the subject only at its own peril.

15.48 hrs.

[SHRI SEZHIYAN *in the Chair*]

I notice that two amendments have been given notice to my Resolution. They are not contrary to the objects of this Resolution. I, therefore, have no objection to these amendments. With these words, I commend this Resolution for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House expresses its grave concern at the falling real wages of the Indian Workers consequent to the abnormal rise in prices of essential commodities and failure of the Government to grant need-based minimum wages to the workers on the basis of norms laid down by the Fifteenth Indian Labour Conference."

There are two amendments. Are they being moved?

SHRI M. C. DAGA (Pali): Sir, I move:

That in the resolution,—

after "Government to" *insert*—

"frame a nation-wide wage price income policy and to" (1)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I beg to move:

That in the resolution,—
add at the end—

"and as recently quantified by Third Pay Commission, namely Rs. 314 per month". (2)

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : दो तीन दिन पहले इस हाउस में सप्लीमेंटरी रेलवे बजट पर हुई बहस में भाग लेते हुए मैंने कहा था कि यहां जितनी चर्चा लेबर के सम्बन्ध में होती है उसको देखते हुए कंज्यूमर के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि जो कारिन्दे रखे जाते है उनको भूखा रखा जाए। सब यह चाहेंगे कि उनको इतना पैसा मिलना चाहिये ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। लेकिन कोई भी वेतनमान हो वह देश की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित हो सकता है देश की स्थिति के अनसार ही किसी को उसका हिस्सा मिल सकता है और सब को कष्ट भी समान रूप से बरदाश्त करना होता है। सभी जानते हैं कि चालीस प्रतिशत से अधिक लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। उनको दोनों टाइम खाना नहीं मिलता है। गवर्नमेंट के साधन इतने तगड़े नहीं हैं कि सब को वह उपयुक्त साधन जुटा सके और उनका ठीक से भरण पोषण वह कर सके। ऐसी स्थिति में उचित क्या है? यह एक बात है। हम क्या कर सकते है यह एक दूसरी बात है। उचित तो यह है कि सब को खाना लत्ता, कपड़ा, दवा दारू, सबके वास्ते पढ़ाई का प्रबन्ध हो, सब को घर मिले और ऐसा मिले जिस में बाथरूम भी हो, जाड़े में गर्म पानी भी मिले और यदि उनको सफर करना हो तो उसका भी इंतजाम हो। लेकिन हम कर कितना सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, यह हमें देखना है। जितना कर सकते है उसी के अनुसार किसी देश के वेतन मान भी चलते है। हिन्दी में कहावत है तेते पांव पसारिये जेती लम्बी सौर। जितनी आपके पास जगह है उतनी दूर तक ही आप पैर पसार सकते हैं। यदि अधिक पसारने की कोशिश करेंगे तो या तो पैर टूट जाएंगे या गर्दन टूट जाएगी। अंग्रेजी में भी कहावत है कट योअर कोट एकार्डिंग टू यूवर क्लाथ। दो गज कपड़ा है तो आप बंडी ही बना सकते हैं, कोट नहीं। जितने साधन है उन्हीं के अन्दर रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लेबर का जो प्रबन्ध है वह आइडियल नहीं है। लेकिन जो आम जनता है उसके हिसाब से अच्छा है। कम नहीं है। पर कैपिटा हम लोगों की इनकम जितनी है उसको मद्देनजर रखते हुये ही किसी वेतनमान को हम को तय करना होता है। हाइएस्ट आय 800 या 850 रुपये है और लोएस्ट 200 रुपये है। इसको देखते हुए हम अपने एम्प्लायीज को कितना अधिक दे सकते हैं? देश की समृद्धि बढ़े, देश में पैसा हो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ जाए तो जरूर हम को देखना होगा कि लेबर को उसका उचित हिस्सा मिले। यदि नहीं मिलता है तो शिकायत करने की गुंजाइश हो सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम समझते हैं कि हम अपनी लेबर को कम नहीं देते हैं। हमने यह भी नियम बनाया है कि यदि महंगाई एक प्वाइंट बढ़ जाएगी तो उसके भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। यह ठीक है कि रुपये की वैल्यू कम हो गई है, परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है कुछ न कुछ उनका भत्ता भी बढ़ता गया है। प्रस्ताव के दो हिस्से है। एक तो वह है जिस में कहा गया है कि महंगाई की वजह से रुपये के मूल्य में कमी हो गई है या लेबर की आमदनी में जो इरोजन हो गया है, उसको देखते हुए हम को क्या करना है और दूसरा हिस्सा वह है जिस में कहा गया है कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज क्या होनी चाहिये। नीड बेस्ड वेज पर मैं बाद में आउंगा। जो हम लोग इस वक्त देते हैं उसी पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। हम देश की स्थिति को देखते हुए अपनी लेबर को कम नहीं देते हैं। यह भी गारंटी है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे हम महंगाई भत्ते में वृद्धि करेंगे। यह दूसरी बात है कि इससे उनको पूरा पड़ता है या नहीं। मै मानता हूं कि नहीं पड़ता है।

कुछ तकलीफ उनको होती होगी । इस में दो रायें नहीं हैं । लेकिन हम कर क्या सकते हैं इस स्थिति में । या तो गवर्नमेंट की जितनी आमदनी है वह सारी अपने एम्प्लायीज को दे दें और देश का विकास रोक दें या देश का विकास कर के उनकी आमदनी में वृद्धि करें । इन दोनों में क्या उचित होगा? यह दूसरी बात है कि हमारी गलती से या किसी दूसरे की गलती से देश का विकास नहीं हुआ है । लेकिन आज जो स्थिति है उसको देखा जाए तो हम को देखना होगा कि हम अपनी लेबर को कम या अधिक देते हैं । अब तो जो गवर्नमेंट एम्प्लायीज हैं उनकी एक अलग क्लास हो गई है, प्रिविलेज्ड क्लास हो गई है । जो खेती करता है वह भी यही कोशिश करता है कि उसका लड़का चपड़ासी या एल० डी० सी० कहीं लग जाए—हालांकि वह अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर का कोई काम कर सकता है—ताकि उसको दो सौ रुपये माहवार आमदनी हो जाए । देहातों में तो यह स्थिति है । शहरों में भी जो छोटे छोटे आर्टिजन हैं जैसे लुहार हों, बढ़ई हों या दूसरे हों वे भी यही कोशिश करते हैं कि उसके बजाय हमें और कहीं चपड़ासी की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है ताकि मुस्तकिल आमदनी हाथ में आ सके । घर के अन्दर जो लेबर काम करती है उसकी किसी को चिन्ता नहीं है ।

यह ठीक है कि जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से उनके वेतनों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है । लेकिन रास्ता क्या है? ऐसा हम कुछ न करें कि सचमुच में एक प्रिवलेज्ड क्लास पैदा हो जाए जिन का जो दूसरे देश के वासी हैं, मुकाबला न कर सकें ।

अब मैं नीड बेस्ड मिनिमम वेज पर आता हूं । उसको भी देश की स्थिति को देखते हुए ही लागू किया जा सकता है । यह ठीक है कि लेबर कान्फ्रेंस में इसको पास किया गया वहां यही कहा गया कि क्या उचित है, क्या होना चाहिये । उस में यह नहीं कहा गया कि आपकी स्थिति हो या न हो आप उस काम को करें । कीजियेगा कैसे? आपके पास पैसा नहीं है धन नहीं है तो आप नीड बैस्ड मिनिमम वेज कैसे दे सकते हैं? कहां से देंगे, कौन देगा? यह भी आपको सोचना होगा । पार्लिमेंट में बहस करके कुछ वाह वाही लेने से कोई लाभ नहीं है ।

16.00 hrs.

लेबर में भी कई क्लासिस हैं । फैक्ट्री में जो काम करती है उसकी स्थिति अच्छी है । एग्रिकलचर में जो करती है उसकी स्थिति बड़ी खराब है । उनको क्या मिलता है? केवल दो तीन रुपये रोज मिलता है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग माली का काम करते हैं वे अभी डेली वेज पर हैं तो उनको सिर्फ चार रुपये रोज मिलते हैं । उन लोगों को महीने में केवल पच्चीस दिन काम पर लगाया जाता है । जो पर्मानेंट हो गये हैं, उन को 200 रुपये प्रति-मास मिलते हैं । काम एक ही है । डेली वेजिज वाले सिर्फ पांच दिन कम काम करते हैं, लेकिन उन को बहुत कम पैसा मिलता है । पर्मानेंट लोगों को उन से दुगना, तिगुना पैसा मिलता है । पहले तो हमें इस स्थिति को सुधारना होगा । डेली वेजिज पर जो लेबर एम्प्लाय की जाती है, उस को भी पर्मानेंट लोगों के बराबर पैसा मिलना चाहिए । चूंकि वे पच्चीस दिन काम करते हैं, इस लिए उन से पांच दिन के पैसे काट लिये जा सकते हैं । नियम के अनुसार जिन लोगों के 240 दिन पूरे नहीं होते हैं, उन को पर्मानेंट नहीं किया जाता है । इस लिए डेली वेजिज वालों को बीच में दो चार दिन के लिए हटा देते हैं, ताकि उन को पर्मानेंट न करना पड़े । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को दूसरों के बराबर वेतन नहीं देती है ।

जब देश की यह स्थिति है, तो नीड बेस्ड मिनिमम वेज तो बहुत बड़ी बात है । वह तो वर्तमान वेज से ड्योढ़ी या दुगनी होगी । हमें सोचना चाहिए कि क्या देश उस भार को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं । यह ठीक है कि गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिए, और जितना अधिक

[श्री डी० एन० तिवारी]
से अधिक मिल सके, वह मिलना चाहिए। मैं उन के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हर साल जो बजट हमारे सामने आते हैं, उन से पता चलता है कि अधिकतर पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में घाटा हो रहा है।

श्री लालजी भाई (उदयपुर) : सभापति महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung. . .

Now, there is quorum. The hon. Member may continue.

श्री डी० एन तिवारी : सभापति महोदय जो लोग दिल्ली आदि बड़े बड़े शहरों में रहते है, उन को अनुभव होगा कि कोई भी आदमी अपने बाल-बच्चों को खिला कर एक हजार रुपये से कम में सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता है। हम लोग काम करने के लिए जो नौकर रखते हैं, हम उन को चालीस, पचास रुपये और खाना, कपड़ा आदि देते हैं। वह सब मिल कर 200 रुपये हो जाते हैं, उस से कम नहीं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहां डेली वेजिज पर काम करने वालों को जो देता है, वह उस से भी कम हैं। लेकिन यह नहीं है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन देना नहीं चाहता हैं; उस के पास पैसा नहीं है, वह दे नहीं सकता है।

मैं ने अभी कहा है कि खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, उन को क्या मिलता है। छोटे छोटे किसानों को भी कभी कभी लेबर एम्प्लाय करनी पड़ती है। वे उन को इतना कम पैसा भी नहीं दे सकते हैं अगर देते हैं, तो उन की उपज का दाम इतना बढ़ जाता है कि वह महंगा मालूम होता है। अगर आप हिसाब लगायें, तो मालूम होगा कि एक मन पेड्डी उत्पन्न करने के लिए पचास रुपये से कम खर्चा नहीं पड़ेगा। इस तरह खेतिहर को भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है।

हमारे यहां जो बीस, पचास और सौ एकड़ वाले बड़े बड़े काश्तकार हैं, वे शायद कुछ खेतिहर मजदूरों को एम्प्लाय कर सकें। लेकिन जब चार, पांच या दस एकड़ के काश्तकारों को अपनी खेती के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं तो वे पैसा नहीं दे पाते हैं। इसी लिए खेती की पैदावार नहीं बढ़ती है। उन को क्या दोष दें? उन को खेती से इतनी आमदनी नहीं होती है कि वे मजदूरों को पूरा पैसा दे सकें। यह नहीं कि वे सारा पैसा स्वयं हड़प जाते हैं। अपने बाल-बच्चों को पालने के बाद उन के पास जो पैसा होता है वे देते हैं। आज हमारे देश में एग्रीकल्चर लेबर की दशा इतनी दयनीय है कि उन की देह पर फटे कपड़े और पैरों में जूते भी नहीं होते हैं। खाने पीने को उन्हें रूखा-सूखा भी नहीं मिलता है, कैलोरीज़ की बात तो दूर रही। देश के 75 परसेंट लोगों को निर्धारित कैलोरीज़ के हिसाब से खाना नहीं मिलता है; उन बीस, पच्चीस परसेंट फ़ार्चूनेट लोगों को शायद मिलता हो, जिन की आमदनी एक हजार रुपये से अधिक है।

मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि लेबर को ज्यादा पैसा दिया जाये। अगर हमारे पास हो, तो ज़रूर दिया जाये। मैं नीड बेस्ड मिनिमम वेज के भी विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन यह बात हमारी आमदनी तरक्की और आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करेगी।

मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव उपयुक्त समय पर नहीं आया है—समय से पहले आया है, और इस को कुछ दिनों के बाद लाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, मैं अपने मित्र, डा० सरदीश राय, को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंनें इस सदन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिस की मांग तमाम मेहनतकश जनता कर रही है।

हमारे पूज्य मित्र, श्री डी० एन० तिवारी अभी अपने भाषण में कहा है कि देश की परिस्थिति को देखते हुए गुज़ारे लायक वेतन नीड बेस्ड मिनिमम वेज, की मांग को नहीं मानना चाहिए। यह ठीक है कि देश की स्थिति खराब है, लेकिन उस की ज़िम्मेदारी किस पर है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो देश के लोगों में बहुत उत्साह पैदा हुआ

था। वे समझते थ कि अब हमारी हालत वह नहीं रहेगी, जो अंग्रेजों के ज़माने में थी, मज़दूरी करने वाले को उचित मज़दूरी मिलेगी, मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत के एवज़ में चांदी के टकड़े मिलेंगें, जिस से बाल-बच्चों की परवरिश हो सकेगी, और कम से कम इतना इन्तज़ाम हो जायेगा कि लोगों को अपने गुज़ारे के लिए जितना पैसा चाहिए, वह उन्हें मिल जायेगा।

आज़ादी के दस साल बाद, 1957 में, पंद्रहवीं लेबर कांफ्रेंस बैठी। उस में चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेसिज़ के प्रतिनिधियों, एम्प्लायर्ज़ के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज और सरकारी नुमायंदों ने एक राय से यह प्रस्ताव पास किया कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज की व्यवस्था होनी चाहिए। उस को क्वांटिफाई नहीं किया कि कितना मिलना चाहिये यह नहीं कहा, लेकिन डा० आयक्रायड के फारमूले के अनुसार यह कहा कि कितना खाना मिलना चाहिए, कितनी कैलरीज़ मिलनी चाहिए, कितना कपड़ा मिलना चाहिए ताकि जीवित अवस्था में लोग रहें। कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं किया था जो कि आज किया जा रहा है। इतना कहा था कि रहने के लिए एक छोटा सा मकान हो, टू रूम टेनामेंट। अगर इस का अन्दाज उस समय लगाया जाता 1957 में तो 130 रुपये होता जब उन्हें 30 या 35 रुपये तनख्वाह मिलती थी और आज तीसरे पे कमीशन ने अभी उस को क्वांटिफाई किया है कि 314 रुपये मिलना चाहिए। वह भी गलत है। वह 1970 की महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से किया है। 1973 में जब रिपोर्ट दी गई जनवरी के महीने में, उस वक्त के 31 दिसम्बर, 1972 के हिसाब से देखा जाय तो 364 या 374 रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिये गुंजारे लायक। यह बात सही है कि हम पैर उतना ही फैलाए जितनी लम्बी चादर हो। लेकिन मुश्किल यह है कि 25-26 साल की आजादी के बाद भी देश में पैर फैलाने की गुंजाइश न रहे और चादर हमेशा घटती हो चली जाय तो आखिर लोग करें क्या? मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह कहें कि खेतिहर मजदूर को मजदूरी कम मिले या कारपोरेशन के कर्मचारी को कम मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ को ज्यादा मिले। लेकिन तिवारी जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फर्क क्यों आया? सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार संशोधन लाने के बाद सरकार न सिर्फ 196 रुपया चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिया और वही चतुर्थ श्रेणी का कारीगर अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में काम करता हो, रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में काम करता हो या एच० ई० एल० बंगलौर में काम करता हो तो उस की मिनिमम तनख्वाह 230 रुपये से 250 रुपये तक है। उस के बाद फिर बोनस का भी वह हकदार है। लेकिन रेलवे के कर्मचारी, डाक तार विभाग के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी या और दूसरे कर्मचारी जो हैं, 22 लाख जिन की संख्या है उन को 196 रुपया ही देने को रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो यह विषमता है यह क्यों है? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ आज कहते हैं कि 314 रुपये से कम तनख्वाह हो तो उस को कम से कम आप उसूलन मान लीजिए, सिद्धांत के रूप में मान लीजिए। मैं समझता हूं सरकार के पास इस वक्त पैसा नहीं है, नहीं दे सकती 314 रुपये, लेकिन सिद्धांत के रूप में उस को मान लेना चाहिए कि जो फैसला 57 में हुआ था और सन 73 में जिस को क्वांटिफाई किया गया है, यह तो कहना चाहिए कि हां, जब हमारी हालत सुधर जायेगी, नेशनल इनकम बढ़ जायेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो 314 रुपये कम से कम हमारा लक्ष्य तो है। लेकिन लक्ष्य के रूप में भी कहा जाता है कि वह नहीं माना जायेगा और 196 रुपये ही दिए जाएंगे। तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ के अंदर इस से काफी बेचैनी है, काफी वह नाराज़ हैं और हड़ताल की चर्चा कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ की हालत

[श्री एस० एम० बनर्जी]

तो उस से भी खराब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज़ कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाये तो वह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ की तरफ देखो, उन की दशा कितनी खराब है? स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाईज़ कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय तो उन से कहते हैं कि कारपोरेशन के एम्प्लाईज़ की तरफ देखो, उन की तनख्वाह कितनी छोटी है? कारपोरेशन के एम्प्लाईज कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय तो कहते हैं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ देखो, कितने लोग बेकार हैं? तुम तो नौकरी में लगे हो। यानी यह हालत है. आखिर कब तक लोगों को इस तरीके से बहलाया जायेगा? आज लोग कहते हैं कि केवल दो परसेंट आर्गेनाइज्ड लेबर जो है वही मांग करता है। अभी भरतराम साहब ने जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कहा कि हिन्दुस्तान का केवल दो प्रतिशत आर्गेनाइज्ड लेबर जो है, दे आर होल्डिंग दि कन्ट्री टु रैन्सम। यानी अगर आर्गेनाइज्ड सेक्टर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना तन ढंकने के लिए, अपनी और जरूरतें पूरी करने के लिए तनख्वाह मांग रहा है तो उस में कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा वह मांग रहा है?

मैं पूछना चाहता हूं, इतने आश्वासन इस सदन में दिए गए। चव्हाण साहब तो तीन दफा बोले, तमाम आश्वासन उन्होंने दिए। वह सब आश्वासन देने के बाद भी जितने मर्तबे हम लोगों ने प्राइसेज़ के बारे में डिस्कशन किया उतने मर्तबे दाम बढ़ गए। शायद पार्लियामेंट खत्म होने के बाद मुमकिन है कि घट जायं। हम लोगों ने भी सोचा कि बहस करना ही बेकार है। क्या होगा बहस करने के बाद? आज आप देखें कि दस पैसा या 20 पैसा घट जाता है तो लोग कहते हैं दाम कुछ घट गया है। मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी से कि 314 रुपये सरकार दे नहीं सकती तो न दे लेकिन इन 26 सालों में देश में बरबादी कोई लाया है तो कौन लाया है? क्या यह सही नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर लोग चाहे 75 परिवार हों या 76 परिवार हों इस बीच और धनी नहीं हुए हैं? क्या ऐसे व्यक्ति हिन्दुस्तान में नहीं हैं कि जो लाखों-पति थे आजादी से पहले आजादी के बाद वह अरबपति हो गए? लाखों-पति करोड़पति हुए, अरबपति हुए और एक कारखाने का जो मालिक था वह 26 कारखाने का मलिक हो गया। दूसरी तरफ सौ रुपये जो पाता था उस की महंगाई ने कमर तोड़ दी। सौ रुपये की कीमत 42 रुपये रह गई। 42 रुपये पाने वाला बेकार हुआ, फाका कशी करने लगा। एक छोटे से मकान में जो रहता था वह झुग्गी झोपड़ी में रहने लगा। झुग्गी झोपड़ी में जो रहता था वह फुटपाथ पर लेटने लगा और फुटपाथ पर लेटने वाला धीरे धीरे जाड़े से अकड़ कर मरघट की तरफ जाने लगा। दो तस्वीर हिन्दुस्तान की है। एक तरफ यह है कि लखपति जो थे वह करोड़पति अरबपति हो गए और दूसरी तरफ इन्सान की गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई आज कि एक मकान से आवाज़ आती है कि बच्चा दूध पीना नहीं चाहता और दूसरे मकान से आवाज़ आती है कि बच्चे के पीने के लिए दूध नहीं है। मैं कहता हूं कि इस की जिम्मेदारी किस पर है? कौन सी सरकार, कौन सी पोलिटिकल पार्टी ऐसी थी जिस के हाथ में हिन्दुस्तान की सत्ता मुतवातिर 26 साल तक रही, उस के बावजूद भी यह कहना कि इस वक्त देश मे कुछ मत करिये क्योंकि हमारी आजादी अभी बिल्कुल बच्चा है...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): मूछ आ गई।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कहता हूं कि आप जैसे लोग जब से आ गए हैं कांग्रेस में तब से यह दशा हुई है। अगर एक दफा आप लोगों को निकाल दिया जाय मिल मालिकों की तो तरक्की हो। चीनी का कारखाना भी चलाएंगे और कांग्रेस में सोशलिज्म भी लाएंगे दोनों चीजें नहीं चलेंगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री का चैयरमन हूं, मालिक नहीं हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : चेयरमैन हैं तो अच्छा है, भगवान करे और आप चैयरमैन बन जायें। लेकिन इस चेयर को तो छोड़ें।

में बिलकुल सहमत हूं कि तिवारी जी से कि अगर आज देश के पास पैसा नहीं है, अगर सूखी रोटी सब खाएंगे तो हम भी खायेंगे, दूध अगर हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा तो किसी के बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तिवारी जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें नहीं होगीं, एक तरफ पैसा किस तरह से बहाया जाय, सौ सौ रुपये का टिकट लिया जाय, इसी दिल्ली शहर में अभी क्रिसमस आ रहा है, आप चल कर देख लीजिएगा क्या होगा, होटलों में जा कर देखिएगा क्या होगा और दूसरी तरफ एक गुब्बारा भी बच्चा न खरीद सके। आप को ताज्जुब होगा, एक क्लर्क का बच्चा एक बेलून, गुब्बारा खरीदना चाहता था, मां के पास पैसा नहीं था, उस ने मुंह पर तमाचा मार दिया, बच्चा रोने लगा। शाम को चल कर देखिए मेरे साथ। वह बंगाली जो उम्र भर मछली खाता था आज एक रुपये में मछली का कांटा खरीदता है और तसल्ली देता है अपने बाल बच्चों को कि उस में मछली की बू तो है कम से कम। आज इस देश में क्या हालत हो रही है? कहते हैं आंकड़े देख लिजिए, स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, ला आफ एवरेज देखिए—हरएक के पैर में जूता है आज लेकिन आप को महसूस नहीं हो रहा है। मैं आप से कहता हूं ला आफ एवरेज से काम चलने वाला नहीं है यह एवरेज देखते देखते वही हालत होगी कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० का एक ओवरसियर जीवन भर एवरेज निकालता रहा। रिटायर होने के बाद एक दफा घर जाने लगा। बीच में नदी आ गई। नाव वाले ने कहा कि नदी गहरी है। उस ने कहा मैं औसत निकाल लेता हूं। तुम मुझ को सिखाते हो? उस ने औसत निकाल कर कहा अपनी बीबी से कि तुम पांच फुट दो इंच हो, मैं हूं पांच फुट 8 इंच और लड़का है 5 फुट 6 इंच। लड़के से कहा कि बेटा तू चला जा। लड़के ने कहा कि मैं डूब जाउंगा। उस ने कहा कि मैं इस का एवरेज निकाल चुका हूं, यह एवरेज पांच फुट से कम है। लड़का डूब गया। जब बीवी डूबने लगी तो उसने कहा कि यह क्या हुआ भगवान? मेरे आंकड़े ज्यों के त्यों, मेरा कुनबा डूबा क्यों? तो कहने के लिए साहत्व सब कुछ है, चावल मौजूद है, गेहूं मौजूद है, फलां चीज मौजूद है, लेकिन हम को नजर नहीं आ रहा है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि अगर इन आंकड़ों के फन्दे से बच कर चोरबाजारी को और मुनाफाखोरी को आप रोकें, अगर चीजों के दामों को आप घटा लें, पांच साल तक हम तनख्वाह नहीं मांगेगे। 1971 की गरीबी हम को दे दीजिए, 1970 का भिखमंगापन दे दीजिए हम लोगों को 1971 की जो आज बेहतरी आप कह रहे हैं वह दूसरे लोग आ कर देख जाते हैं हमारे देश के आदमियों को उस का पता नहीं चलता। भुखमरी और बेकारी की एक दौड़ चल रही है। 314 रुपये ये कोई ज्यादा नहीं हैं। अगर कहें तो मैं कैलकुलेट कर के दिखा सकता हूं। आप चल कर देखिए कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा, प्राविडेंट फंड से कर्जा, स्कूटर नाम से कर्जा, साइकिल के नाम से कर्जा, चारों तरफ से कर्जा लेकर भी लोगों का काम नहीं चल रहा है। तो कम से कम इस मामले में मैं तिवारी जी से कहूंगा, वैसे तिवारी जी की बातों को मैं हमेशा मानता हूं, मैं तिवारी जी को श्रद्धा की नजर से देखता हूं। लेकिन मैं कहूंगा, आप ने भी सारे बाल सफेद किए, देश के लिए जितनी कुर्बानी आपने की है उतनी हमारी उमर भी नहीं, हम लोग आप के चरणों में राजनीति सीख कर आए हैं कुछ इरादा ले कर आए थे इस पार्लियामेंट में, बीस साल ऐसे ही नही बिताएं। लेकिन मुझ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के दिलों में निराशा और हताश की भावना आती जा रही है। लोग क्या देख रहे हैं—उन की आंखों के सामने रेल की पटड़ी है, या तो खुदकशी कर के मर जाय या समाज को पटड़ी को उखाड कर फेंक दें।

इस लिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि चाहे 314 रुपये अभी न दें लेकिन इस सिद्धांत को मान लें, 5 साल में दीजिये, 6 साल में दीजिये कभी दीजिये, लेकिन जो बेकारी है, जो भुखमरी है, उस को रोकिये। अभी मेरे मित्र

[श्री एस० एम० बनर्जी]

डा० सारदीश राय साहब ने बताया था कि ये वेजेज किस तरह से गिरी हैं, 1947 की पावर्टीलाइन से भी नीचे चली गई हैं। आज प्रधान मंत्री जी को इस प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहिये था, वह यहां मौजूद नहीं है और शायद उन के पास कुछ कहने को भी न हो। मैं उत्तर प्रदेश इलैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं--इलैक्शन आयेंगे और चले जायेंगे, लेकिन अगर एक दिन लोग इन इलैक्शन्ज से बदजन हो जायेंगे, अगर ये बेकार और भूखे लोग एक दफ़ा एक हो गये तो फिर आप की यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी कहां जायेगी? आज 314 रुपये बुरे मालूम हो रहे हैं--लेकिन पिछले 26 सालों में यह सरकार चीजों के दाम नहीं घटा सकी है, देश को मरघट की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं--उस को ऐसा कहने का कोई हक नहीं है कि नीड-बेस्ड वेजेज 314 रुपये न दिये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस में कोई दो रायें नहीं हैं कि जो मजदूर या जो देश का नागरिक है, वह जो काम करता है, उस के बदले में उस को इतना अवश्य मिलना चाहिये जिस से उस की आवश्यकता पूरी हो सके, उस की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, वह केवल एक पक्ष को लेकर आया है, जो लोग आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, कारखानों और दफ्तरों में काम करते हैं--केवल उसी वर्ग को लेकर पेश किया गया है। हमेशा इस हाउस में और बाहर देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि मजदूरों को कम तनख्वाह मिल रही हैं। हम देख रहे हैं--पिछले 25 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है-- जब जब कीमतें बढ़ी, मंहगाई भत्ते की मांग की गई, मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, बाजार में रुपया आया तो फिर कीमतें बढ़ी, इंफ्लेशन हुआ, फिर मंहगाई भत्ता बढ़ा, इस तरह से यह सर्किल चलता रहा और हमारे विरोधी पक्ष के लोग हमेशा इसी वर्ग की आवाज को उठाते रहे। कभी उन्होंने इस बात को सोचने की कोशिश नहीं की कि इस देश में एक ऐसा वर्ग भी है, जिस की संख्या देश की आबादी का 40 फीसदी है, जो शुरु से ही गरीबी की रेखा के नीचे रहा है, जो खेती पर काम करते हैं, जो कड़कड़ाती सर्दी में, तेज धूप में और पानी में काम करते हैं, उन गरीबों के बारे में आप ने कभी आवाज नहीं उठाई। आज उन के बदन पर कपड़ा नहीं है--खाने को दो वक्त का भोजन नहीं है। दूसरी तरफ आप मिलों में जा कर हड़ताल कराते हैं, जिस से मिलों का उत्पादन कम हो जाता है, कपड़े का उत्पादन गिर जाता है, कोयले की खानों में हड़ताल कराते हैं, जिस से कोयला कम निकल पाता है और कोयले की कमी के कारण कारखाने चल नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पक्ष की आवाज उठाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, दोनों पक्षों के लिय आवाज उठानी चाहिये थी। जहां मजदूरों के लिये ये सारी चीजें चाहिये, जहां आप उन के अधिकारों की बात करते है, वहां उन के कर्तव्यों की बात भी होनी चाहिये। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो तथ्य हैं, वे देश के सामने आने चाहिये, लेकिन इस तरह से जनता को गुमराह करने से समस्या हल नहीं होगी।

मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक की जो जरूरत है--उस को रहने के लिये मकान होना चाहिये, उस के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा होनी चाहिये, उस के लिये दवादारू की सुविधा होनी चाहिये, उस को और उस के परिवार को दो समय का खाना मिलना चाहिये-- ये वे चीज हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। लेकिन केवल एक वर्ग को लेकर आवाज उठाना, वह वर्ग जो हमारे उत्पादन

का साधन बना हुआ है—जैसे पूंजी और श्रम का सिद्धांत है, श्रम और पूंजी दोनों मिल कर ही उत्पादन कर सकते हैं, पूंजी आप चाहे जितनी लगा दीजिये, अगर उस के साथ श्रम जुड़ा हुआ नहीं होगा तो पूंजी कुछ नहीं कर सकती। इस लिये जो कारखाने हैं, उन में जो मजदूर भाई काम करते हैं, चाहे रेल्वे को चलाते हों, चाहे कारखानो में काम करते हों, चाहे विद्युत पैदा करने वाले कारखाने में काम करते हों, उन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उत्पादन को न गिरने दें। आप देखिये—पिछले 25 सालों में हमारे देश में कितनी हड़तालें हुई, आप उन का टोटल लगा कर देखिये कितने दिनों की हानि हुई है, उस के कारण कितने रुपयों का घाटा उठाना पड़ा है, यदि हम उस का हिसाब लगायें तो आप को मालूम होगा उस राशि से इस देश की एक पंच वर्षीय योजना बन सकती है—इतनी बरबादी हम ने उठाई है।

आज जरूरत इस बात की है कि जहां हम मजदूरों की आवाज उठाते हैं और चाहते हैं कि उन की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी हों, तो हम उस वर्ग की तरफ भी देखना चाहिये जो एक तरफ पड़ा हुआ है, जो टेम्परररी वर्कर है, कैजुअल लेबर है, जिस को तीन महीने के बाद घर में बैठा दिया जाता है, सालों काम करते हुए हो गये लेकिन अभी भी उस की नौकरी पक्की नहीं है . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : आप शायद भूल गये—इस में लिखा है :—

"Failure of the Government to grant need-based minimum wages to the workers."

श्री नाथूराम अहिरवार : मेरे कहने का मतलब भी यही है कि जब तक देश की व्यवस्था इस प्रकार चलती रहती है, जब से आप लोगों ने ट्रेड यूनियन का काम अपने हाथ में लिया है, जिस तरह से आप लोग कारखानों में जा कर हड़ताल कराते हैं, उसी नीति को पूंजीपतियों भी अपना लिया है, वे भी चाहते हैं कि उत्पादन कम हो, क्योंकि उत्पादन कम होने से चीजों के दाम बढेंगे, चीजों के दाम बढ़ने से उन का मुनाफा कम नहीं होगा और उन को ज्यादा पूंजी भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उन को उतना मुनाफा बिना पूंजी लगाये मिलता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ताओं की चीजें मंहगे दामों पर मिलेगी, उन का खर्चा बढ़ता जायगा। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में असमानता है, इस असमानता को दूर करना पड़ेगा। मैं आज इन भाइयों से पूछना चाहता हूं—जो आज देश के गरीबों की दुहाई देते हैं—क्या वे एअर-कण्डीशन्ड मकानों में नहीं रहते हैं, क्या इनके बच्चे कान्वन्ट में नहीं पढ़ते हैं ?

इस लिये, सभापति महोदय, इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती कि देश में विषमता बढ़ी है, लेकिन इस को दूर करने के लिये जब भी सरकार कोई कदम उठाती है, हमेशा इन की तरफ से उस में अडंगा लगाया जाता है। अभी हाल में सरकार ने थोक गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया, तो इन्हीं प्रगतिशील पार्टियों में जहा डेफिसिट एरिया था, जहां लोग भूखों मर रहे थे, जहां गेहूं 5 रुपये किलो बिक रहा था, इन्होंने रेलगाड़ियां बन्द कीं ताकि मूवमेंट न होने पाय, ताकि लोगों में ज्यादा फस्ट्रेशन पैदा हो सरकार के खिलाफ लोगों के विचार बनें।

मैं आज यह चार्ज लगाना चाहता हूं--इन्होंने उन ट्रेडर्स का, उन व्यौपारियों का साथ दिया उन से लाखों रुपया कमाया। जिला-बन्दी तुड़वाने में उन व्यापारियों का साथ दिया, उन के गल्ले को बाहर जाने दिया। जब भी सरकार ने जनता के लाभ के लिये कदम उठाया, इन्होंने आर्गेनाइज्ड तौर पर उस का विरोध किया, उस में रुकावटें डालीं। जब से प्रधान मंत्री जी ने नारा लगाया—देश की गरीबी को दूर करना है—इन्होंने अनेकों बन्द और हड़ताले शुरु कराई, मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग शुरु की जगह जगह जा कर झगड़े कराये ताकि देश का उत्पादन न बढ़े और सरकार कोई काम न करा

[श्री नाथूराम अहिरवार]

सके, ताकि अगले पांच सालों में ये जनता के सामने जा कर कह सकें कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आप गोलियां चलवा रहे हैं, ट्रेन लुटवा रहे हैं, अभी कल एक जनता एक्सप्रेस लूटी गई—यह आप की जिम्मेदारी है। एक तरफ आप मजदूरों को भड़काते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मंहगाई बढ़ाओं। जैसे दो मुंहा-साप होता है, दो मुंही बात न कह कर, क मुंह से बात करो। आप चाहते हैं कि देश की गरीबी दूर हो, देश की तरक्की हो, तो सही रास्ते पर आइये। जो कार्यक्रम हम ने बनाया है, जो कार्यक्रम हमारी कांग्रेस ने बनाया है, उस में सहयोग दीजिये, हमारे साथ कन्धा से कन्धा मिला कर चलिये।

चूंकि समय कम है, और आप ने घंटी भी बजा दी इसलिये मेरा यही निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है वह तो ठीक है, लेकिन जिन भाइयों के लिये प्रस्ताव ला रहे हैं उन को समझा कर कहिये कि देश के उत्पादन में मिल कर काम करें। देश में उत्पादन होगा तो चीजों के भाव गिरेंगे। अगर उत्पादन नहीं होगा तो चीजों के भाव नहीं गिर सकते और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसलिये देश की प्रगति में साथ साथ मिल कर हाथ बटायें और अन्त में प्रस्तावक महोदय से निवेदन है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। यही मुझे कहना है।

SHRI THA KIRUTTINAN (Sivaganja): Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to you for having permitted me to participate in the discussion on the Resolution moved by Dr. Saradish Roy on need-based minimum wage. I congratulate my hon. friend, who moved this Resolution.

My hon. friends on the Congress side, while speaking on this Resolution, tried their level best to accuse the opposition parties that we are the tool for the creation of strikes and agitation in this country. We of the opposition party do not want to shirk our responsibility. We are ready to say that we are responsible for all these agitations. The point which the ruling party should consider is why these agitations and strikes take place and it should also final some way to avoid these strikes and agitations.

The foremost reason is that the Government at the Centre do not have a real wage policy. The principal objective of the wage policy in our country would be to ensure that the level of wages would be sufficiently high to enable the workers to maintain a reasonable standard of living. The First Five Year Plan states:

> "All wage adjustments should conform to the broad principles of our social policy and disparity of income should be reduced to the utmost extent and the worker must obtain his due share in the national income."

The Government of India appointed a Committee on Fair Wages in the year 1948. The Committee in its report, submitted to the Government in the year 1949, distinguished three kinds of wages, having regard to the standard of living, namely, the minimum wage, living wage and fair wage. The minimum wage was defined as one which provided not merely for the mere sustenance of life but the preservation of efficiency of workers by providing some measure of education, medical requirements and amenities. The living wage was stated to be that wage which provided not merely for a bare physical sustenance but for maintenance of health and decency, a measure of frugal comforts and some insurance against more important misfortunes. As regards the fair wage, the Committee did not offer any definition but stated that while the lower limit of the fair wages must be obviously the minimum wage, the upper limit may be set by what may be broadly called the capacity of the industry to pay. The Second Five Year Plan, 1956-61 stated:

> "The fact of the workers' right to a fair wage has been recognised but in practice it has been found difficult to quantity."

It was also observed in the Second Plan that an authority like a tripartite wage board consisting of equal representatives of employers and workers and an independent Chairman will probably ensure more acceptable decisions on wage disputes. Such Wage Boards should be instituted for different industries in different areas.

In pursuance of these recommendations, the Government of India set up a Wage Board for the cotton textile industry in March, 1957. Thereafter, the system of Wage Boards has been extended to several major industries, like, sugar, cement, jute, iron and steel, etc. These Wage Boards were specifically asked to take into account the recommendations of the Fair Wages Committee regarding fair wages and the Resolution passed by the 15th session of the Indian Labour Conference held in 1957. The system of the Wage Boards thus formed the testing ground for the application of principles laid down by the Fair Wages Committee, the Planning Commission and the Indian Labour Conference. But the interpretation of the minimum wage varied from the Wage Board to another.

To calculate the minimum wage, the Indian Labour Conference at its 15th session held in 1957 accepted certain norms and recommended that those norms should guide all wage-fixing authorities, including minimum wage committees, Wage Boards and adjudications, etc. What are those norms laid down by the 15th Labour Conference ? They are as follows :—

(1) The standard of working class family should be taken to consist of three adult consumption units for one earner, the earnings of women, children and adoloscents being disregarded.

(2) Food requirements should be calculated on the basis of net intake of 2700 calories as recommended by Dr. Aykroyd for an average Indian adult with moderate activity.

(3) Clothing requirements are to be estimated at a *per capita* consumption of 18 yards per annum.

(4) For housing, the norm should be the minimum rent charged by the Government under the subsidised Industrial Housing Scheme for low income group.

(5) For miscellaneous expenditure, 20 per cent of the total minimum wage should be allowed.

The Government decision in fixing the minimum of Rs. 196 per month is being desired by the labour unions on the ground that it is below the need-based wage according to the Indian Labour Conference formula which would work out to Rs. 314 per month.

The Fourth Plan document added that the total wage should have three components, namely, the basic or minimum wage, an element related to cost of living and an element related to increase in productivity. The realisation of this objective is one of the important but inescapable routes to reach the goal of growth with stability. In other words, a meaningful and constructive wage policy has an important role to play in the process of economic growth of the nation. So, in our march towards a truly fair wage, in the 1st instance, and ultimately, the living wage, we must first achieve the need-based minimum as formulated by the 15th session of the Indian Labour Conference held in 1957.

In India, we have a planned economy with a very definite objective of achieving a certain level of social welfare. It is from the determination to satisfy this objective that the need-based wage has been conceived and is meant to be implemented. The need-based wage is viewed in real terms and linked very closely with consumption. It obliges the planner to allocate a large proportion of the available resources to the production of the consumer goods required by the industrial workers, especially foodgrains. Such consumption fulfils a two-fold purpose. It satisfies the minimum nutritional requirements of the workers and, at the same time, it sustains and improves the efficiency of the labour force in turning out the national product. In fact, these two facts are fulfilled simultaneously.

The need-based minimum wage is a concept accepted by the tripartite Indian Labour Conference 15 years ago.

A properly evolved need-based minimum wage is necessary not only in the interest of social justice but also to ensure minimum worker efficiency essential for increasing production.

Government have argued that increase in wages without corresponding increase in productivity must give a new upward twist to the price spiral. Private employers eagerly adopt this argument.

The Labour Commission in India observed that the workers have increased their level of productivity over the years, but their wages have not increased in proportion. Production per worker had increased by about 63 per cent between 1952 and 1961. A part at least of this measure must clearly

[Shri Tha Kiruttinan]

have been contributed by the worker himself. Yet, his real earnings remained almost static during the period. What is worse, wage costs as a proportion of total costs of manufacture declined. In other words, productivity increased but the workers who contributed to it not only gained nothing but appear to have lost especially after 1965 when prices have been spiralling and wiping out increases in money wages. On the other hand, the salaries of executives and other similar personnel have been advancing in step with the price spiral. A wage policy which leads to such a result is worse than no policy.

An industrialist had pleaded for what he describes as dynamic stability of wages, i.e., a system under which workers are offered continuous wage increase, linked to productivity. He has suggested that such a principle should be selectively applied. It should be applied to establishments where a living wage is initially guaranteed. In these units of production, all subsequent payments above the minimum wage, with the obvious exceptions of bonus and ex-gratia payments, should be related to increase in productivity.

It may be possible to measure the productivity of individual workmen in some industrial establishments. But how is one to measure the productivity of supervisory staff who have to create the conditions in which the ordinary worker's productivity can rise or fall?

The National Labour Commission, in discussing the problem, pointed out that the labour productivity is not the exclusive product of labour. Capital, technology and management contribute to it along with labour, and these seldom remain constant.

If wrong working conditions are created by the management and as a consequence the best efforts of the worker fail to raise productivity levels, why should the worker be denied the reward for his efforts? It is also not realistic to try and relate wages to productivity because wages are fixed in the atmosphere of bargaining where the relative power of the parties involved is the dominant factor. There is also one more view that social justice demands that, before we talk of productivity, we must ensure that workers get a minimum subsistance wage.

So, the linking of wages with productivity should be tried only after the subsistance or the minimum wage level is reached.

Under these conditions, the first task of those who seek to increase the productivity of workers is to ensure them not only a need-based minimum wage but also security of employment. The workers have realised that, after increasing their productivity in the last few years, not only their real wage has gone down but certain industries have shown an absolute decline in total employment.

Any wage system that may be evolved is bound to collapse sooner or later if there is not the strictest control over the prices of at least the essential commodities. The sufferings of the middle and lower classes, as also the increasing imbalance of governmental economy, are due mainly to this factor. The need-based minimum, however scientifically fixed to-day, will become irrelevant tomorrow if the prices to which it is directly related are not kept steady.

So much has been said in the past and is being talked all over about the minimum remuneration. Whenever the Government is urged to provide a need-based minimum wage in tune with the high cost of prices of all essential commodities, they come forward with an answer, that there are a lot of citizens who are unemployed and underemployed with scanty remuneration and, therefore, the Government cannot afford to raise the minimum remuneration of their employees beyond a certain level of their own make which do not have any relevancy. Only recently the Government have announced on the floor of this House that the value of the rupee is worth only 36 paise. Therefore, it can be well imagined, how far this diminishing value of a rupee has eroded the real wages of the Government employees. The Government too have been telling time and again that they are taking steps to check the prices but nothing tangible appears to have been the results so far. Whenever there is an announcement of a meagre rise in the quantum of Dearness Allowance of the Central Government employees with wide publicity the traders and others consider it necessary to increase the prices of commodities correspondingly. It makes one doubt whether the Central Government themselves are encouraging such steep rise in the prices of essential commodities. The main

reason for this vicious circle is the inflationary trend prevailing in the country due to the faulty economic policies pursued by the Government and the colossal failure on their part to checkmate the rampant tendency to evade taxes and unearth the black money. So long as there is price rise and deterioratingly diminishing trend in the value of the rupee, there will naturally be the demand for rise in wages from the employees which cannot be averted. On the other hands, the Government should think radically of supplying all essential articles to their employees through co-operative organisations at subsidised rates so that it will have a marked impact on the open market prices and satiate the basic needs of the Central Government employees to a cognisable extent. The present demand of the Central Government employees to raise the level of their minimum wage to Rs. 314 cannot be set aside as an extravagant demand by any stretch of imagination. The expenditure on this count should not be the only criterion for the Government to reject this just demand outrightly. Some ways and means should be evolved to mobilise to meet their demand so as to ensure to them a contented life. It is really a pity that even after 26 years of independence and after the execution of four five-year plans we are unable to pay a minimum remuneration in conformity with the needs and necessities of the employees although it has been enshrined in our Constitution under Article 43, as a Directive Principle, that the State shall ensure a living wage. Though the Constitution warranted us to secure a living wage 23 years ago, we are ironically evading the responsibility to provide the need-based minimum wage itself not to speak of living wage till now. It is imperative on the part of the Government of India to see that their employees are placed economically at least on par with their counterparts in the public sector undertakings such as banks, Indian Oil Corporation, Hindustan Steel, etc.

With these words, I support the Bill.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, मैंने बनर्जी साहब का दर्द भरा भाषण सुना है। कोई भी आदमी उनके खयालात से इख्तलाफ नही कर सकता है। मैं पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूं। अपने देश में हर आदमी को खाना, कपड़ा और रहने सहने के वास्ते मकान मिलना चाहिये। मकान मिलने के बाद सोने के बाद उसको नींद भी आनी चाहिये। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा बहुत बचा खुचा हुआ हम खाना फेंकते हैं उस पर गिर कर उसको वे उठा लेते हैं। यह हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। हम को यह सोचना है कि इस बारे में क्या करना चाहिए। हमारे देश के लोगों के लिए जितना अनाज और दूसरी खाने-पीने की चीजें चाहिए उन को पैदा करना जरूरी है। पूरी दुनिया में एक साल में एक टन अनाज को तीन आदमी खाते हैं, जब कि हमारे देश में पाच आदमियों को एक साल में एक टन अनाज मिलता है। इस का मतलब यह है कि हमारा कनजम्प्शन आफ फूड पूरी दुनिया के ऐवेरेज से 40 परसेंट कम है। हम ने सोचना है कि उस को किस तरह बढ़ायें और उस के लिए क्या कदम उठाये जायें।

16.51 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

इस सम्बन्ध में सब से बड़ी ड्यूटी किसानों की हो जाती है कि वे देश के 55 करोड़ लोगों के लिए खाने-पीने की चीजें पैदा करें। जो लोग जनता की जरूरियात को पैदा करने का काम करते हैं, उन के लिए भी मेहनत करना ज़रूरी है। फ़र्टलाइज़र प्लांट्स में जो लेबर काम करती है, उस को नेकनीयती से और पूरा काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए।

लेकिन आज हालत यह है कि जब किसान फ़र्टलाइज़र के लिए आफ़िस में जाता है, तो उस के लिए पांच दस रुपये रिश्वत देना ज़रूरी होता है। जब खेत को पानी की जरूरत होती है, तो इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल कर देते हैं। जब फ़र्टलाइज़र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी होता है, तो उस समय रेलवे कर्मचारी हड़ताल करते है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों की कोई

[श्री एम० राम गोपाल रैड्डी]

जिम्मेदारी है या नहीं। हमारा सिद्धांत यह होना चाहिए कि कमाओ और खाओ। इस के साथ ही पैदावार का उचित डिस्ट्रिब्यूशन भी जरूरी है। हमारे मुल्क में कुछ लोग शक्कर के लिए रोते है और अगर उस का भाव दो रुपये बढ़ा, तो हंगामा हो जाता है। इस सदन में भी यह सवाल उठाया जाता है। दूसरी तरफ गरीब लोग नमक के लिए तरस रहे है, लेकिन उन के लिए कोई बात नहीं करता है।

देश में अनाज को उगाने के लिए जो चीजें जरूरी है, वे किसान के घर पर पहुंचनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को, जिन का वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है, अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचना चाहिए कि क्या वे इस बारे में अपना कर्तव्य पूरा कर रहे है। सोइंग का सेकंड सीजन आ गया है, लेकिन रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर रहे है, जिस से फर्टलाइजर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता है। चूंकि रेलवे कर्मचारी गैर-जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहूंचाने में रुकावट पैदा कर रहे है, इसलिए उन को जो सहूलियतें मिली हुई है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। पहले तो उन के घरों की इलैक्ट्रिसिटी को कट कर देना चाहिए, वाटर कनेक्शन को खत्म कर देना चाहिए और उन को घरों से निकाल देना चाहिए। घरों से निकालने के बात मैं इसलिए कहता हूं कि आज हजारों लोग रेलवे प्लटफार्मज पर पड़े हुए हैं और उन को ट्रेन्ज के आने जाने का कुछ पता नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में वर्कर्ज जिम्मेदारी से काम कर रहे है।

आज हमारे देश में जो दौलत पैदा हो रही है, उस को ऊपर के सिर्फ दस, पंद्रह आदमी खा रहे हैं और बाकी के 85 आदमियों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पर्कोलेशन थयोरी रखी है, ताकि दौलत नीचे तक पहुंच जाये। लेकिन कई लोग उस में रोड़ा अटका रहे है। क्या वर्कर सही काम कर रहे है? इस बारे में मैं लेबर डिपार्टमेंट को भी दोष देता हूं, क्योंकि जो वर्कर हड़ताल करते हैं, उन की मांग को मान लिया जाता है। अगर इसी तरह रेलवे कर्मचारियों की मांग को मान लिया गया, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उन को बिल्कुल मजबूती से दबाना चाहिए। जब तक हर आदमी को कुछ न कुछ मिल जाये, तब तक कुछ विशेष वर्गों को अधिक पैसा या सुविधायें नहीं देनी चाहिए। जिस आदमी का पेट भरा हुआ है, वह भी और मांग रहा है। रेलवे कर्मचारियों को फ्री ट्रेवल, खाने और प्राविडेंड फंड आदि की सुविधाएं मिली हुई है। डाक्टर उन के दर पर हाजिर रहता है। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से लोग है, जिन्होंनें हमा डाक्टर की दवा क्या, डाक्टर को भी नहीं देखा है। आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है और यहां इल्लीट्रेसी है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। जब तक सब लोगों के लिए मुनासिब इन्तजाम न हो जाये, तब तक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। प्लेन चलाने वालों को पांच छह हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन वे भी हड़ताल करते हैं। अगर ओवरटाइम नहीं दिया जाता है, और दूसरे लोगों को नौकरी दी जाती है, तब भी हड़ताल की जाती है।

आज हमारे देश में "प्रोड्यस एंड शेयर दि प्रोडयस्" के सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। इस के अलावा डिस्ट्रि-ब्यूशन भी ईक्वल होना चाहिए। अगर लोग प्राडक्शन होने से पहले ही मांगना शुरू कर दें, तो इस देश में कोई तरक्की नहीं होगी। आपोजीशन के लोग माइनस सी० पी० आई०, हमेशा तरक्की की राह में रोड़े अटकाते हैं।

श्री मधु लिमये (बांका): क्या माननीय सदस्य को सी० पी० आई० पसन्द है?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सोशलिस्ट पार्टी भी अच्छी है।

जो तरक्की की राह में रोड़े अटकाते है, उन को देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। आपोजीशन वाले मेहरबानी कर के मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े न अटाकायें। अगर चाइना में कोई आदमी हड़ताल करता है, तो दूसरे दिन वह नजर नहीं आता है। अगर हम भी वह पद्धति एडाप्ट कर ले, तो मुल्क में सी० पी० एम० का कोई आदमी नहीं रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदयय मैं डा० सरदीश राय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर देश का ध्यान दिलाया है। सवाल यह है कि 15 अगस्त, 1947 को जो गंगा निकली थी, क्या वह गंगा गांवों या मजदूरों तक पहुंची है या नहीं। यह बहुत बडा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। हम ने अपने संविधान के द्वारा देश के सब स्त्री पुरुषों को बालिग मताधिकार के माध्यम से राजनैतिक अधिकार दिया। हम ने यह घोषणा भी की कि हम देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक समता भी देंगे। अगर सरकार ने करोड़ों लोगों को आर्थिक और सामाजिक समता नहीं दी, तो राजनैतिक समता भी खत्म हो जायेगी और संविधान भी टिक नहीं सकेगा।

हमने अपने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा है कि हम सब लोगों को बराबर के अधिकार देंगे। आर्टिकल 39 में कहा गया है :

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;"

संविधान के पारित होने के 24 साल के बाद हिन्दुस्तान के वे साढ़े तीन करोड़ लोग, जो खेतों और फैक्टरियों में काम करते है, मोटर चलाते है और रेलों में काम करते हैं सरकार ये पूछते हैं कि संविधान में दिये गये इस वचन को कब पूरा किया जायेगा। आज एक तरफ तो बड़े सरकारी अधिकारियों को 3500 रुपये वेतन मिलता है और दूसरी तरफ असंख्य लोगों को गुजारे लायक पैसा भी नहीं मिलता है। एक तरफ मंत्रियों को लाखों रुपये की सुविधायें मिली हुई है और दूसरी तरफ गरीब लोग झोपड़ियों में दिन काट रहे हैं। इस डिसपैरिटी को कौन कम करेगा ?

17.00 hrs.

मैं ने अमेंडमेंट दिया कि हिन्दुस्तान की सरकार आखिर इस पालिसी को कब तक अमल में लाएगी ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप कहेंगे कि हम ने जमींदारी खत्म की, ठीक काम किया। आप कहेंगे कि, खेत पर काम करने वालों को जमीन दी ठीक काम किया। लेकिन इन बातों से क्या आप संतुष्ट है ? आप प्रश्नों का उत्तर जो देते हैं उसे देखिए। यह श्री बालगोविंद बर्मा जी से प्रश्न किया गया था राज्य सभा में और उसका उत्तर उन्होंनें दिया :

"The question of minimum wages in the context of the national wage policy is being considered."

यह आप का कंसिडर करने का तरीका कितने साल तक चलेगा ?

जब कभी मंत्री से यह प्रश्न पूछते हैं कि आप इस पर क्या कर रहे हैं तो वह कहते है कि यह मामला विचाराधीन है। इट इज अंडर कंसिडरेशन। विचाराधीन का मतलब क्या होता है ? विचाराधीन का मतलब है कि आप किसी चीज पर निर्णय लेना नहीं चाहते। सीमेंट फैक्ट्री के एक मजदूर को 270 रुपये देना चाहते है और एक दूसरे मजदूर को 150 रुपया देना चाहते है।

सभापति महोदय : रिपीट मत कीजिए अपनी बात को ।

श्री मूलचंद डागा : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैंने तो नई बात कही है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : वह विचाराधानी नहीं पराधीन होता है ।

श्री मूलचंद डागा : अच्छा, पराधीन होता है, मैं मान लेता हूं। हम उस दिमाखी को नहीं मानते जो पराये दिमाग की बैसागी पर चलता है । अपने दिमाग पर चलना होगा । आखिर मिनिमम वेजेज की बात मामूली बात नहीं है । क्यों कि जब गरीब मजदूर काम करता है, महंगाई से उस की कमर टूटती है और जब हम महंगाई के लिए बात करते हैं तो उस महंगाई के जमाने में जब और ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो प्रश्न आता है कि उन मजदूरों को जिन को हम ने आश्वासन दिया है, जिन का हम ने इच्छाएं जगाई हैं क्या हम मिनिमम वेज उन को दे देंगे या नहीं देंगे ? उन को शिक्षा, घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा कभी आप दे सकते है या नहीं ? आज भी आप का 69 परसेंट लेबर बिलो पावर्टी लाइन है, गरीबी की सीमा से नीचे है और गरीबी की सीमा के नीचे होने के कारण यह हम को एक चेतावनी है, यह संविधान को चेतावनी है । अगर हम उन को राजनैतिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो वह संतुष्ट कैसे हो सकते है ? हमे अरबन सीलिंग लगानी है, वह हमें जल्दी से लगानी चाहिए । हमें लैंड सीलिंग लगानी चाहिए, हमें बड़े बड़े मोनोपली हाउसेज को खत्म करना चाहिए। आखिर में यह डिस्पैरिटी ; क्यों है ? क्या यही रहेगा कि उंचे लोग ऊंचे मकानों में रहते रहे? अभी आप ने दिल्ली अरबन एरियाज का बिल पास कर दिया । बिल आया, चार मिनट में पास हो गया । लोगों ने कहा भी कि बड़ा अच्छा ऐक्ट है । मैं ने भी कहा कि क्या किया जाय ? आखिर वह है क्या कि बड़े बड़े शानदार मकान बन गए । बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि झोपड़ी की भी तो रक्षा करें । शानदार मकानों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि या तो हमें संविधान को पलटना होगा । आज कई स्टेट्स में गरीबों को 3 रुपये रोज भी मिनिमम वेज नहीं मिलता । गुजरात में अभी तीन रुपये मिनिमम वेज है । आप बताइए कि तीन रुपये में वह कैसे गुजारा कर सकते हैं ? मिनिमम वेजेज ऐक्ट पास होने के बाद भी आज कई स्टेट्स में वह लागू नहीं हुआ है । वहां मजदूरों को एक रुपया, डेढ़ रुपया, दो रुपया, ढाई रुपया और तीन रुपया नही मिलता है। लोग कहते है कि आप का अरबन सीलिंग ऐक्ट है, आप का लैन्ड सीलिंग ऐक्ट है आप का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है । ये सारे डिपार्टमेंटस आप के है । लेकिन एक तरफ ये ऊंची ऊंची मिनारे और ऊंचे ऊंचे मकान बढ़ते जा रहे है, लोग मालदार होते जा रहे हैं और आप खुद इस बात को मानते है । यह बात नहीं कि हम लोग नहीं कहते है, हम लोग बड़े अच्छे शब्दों में कहते है कि धनी धनी हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है । लेकिन धनवान धनवान हो रहा है तो इस का दोष किस पर है ? कौन जिम्मेदार है इस के लिए? यह जिम्मेदारी हमारी है । आज आप जाइए किसी भी बड़ी जगह में, आप को बड़े बड़े मकान मिलेंगे तो बड़े बडे गवर्नमेंट सर्वेंटस् के मिलेंगे जो उन्होंनें लाखों रुपये गवर्नमेंट से कर्जे ले कर बनाए वे । मैने यहां पढ़ा है कि पचास पचास हजार रुपया मकान बनाने के लिए और मोटर खरीदने के लिए उनको दिए जाते

है । उत्पादन के लिए नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों को पचास हजार रुपया दिया जाता है मकान बनाने के लिए, मोटर खरीदने के लिए, फिएट खरीदने के लिए। तो यह एक बड़ा सवाल है । मैं भोला पासवान जी के बिल पर बोलना चाहता था कि आप यह बिल तो ले आए, रघुरामैया जी ने एक मिनट में पास करा दिया लेकिन मैं कहना चाहता था कि कितना एन्क्रोचमेंट है म्युनिसिपालीटीज पर? हम लोग कभी कभी जल्दी करने है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि देश के अंदर समाजवाद के जो सिद्धांत है और डिस्पैरिटी कम करनी है तो डिस्पैरिटी तो इस तरह से कम होती नहीं और असंतोष जो है वह इस बात का है कि हमारा न्याय का तरीका सही नहीं है । हमें कदम उठाना चाहिए और जल्दी से जल्दी जिन लोगों के पास ज्यादा दौलत है उन की दौलत कम करने के तरीके हमें अख्तियार करने चाहिए। यह नहीं कर सकते तो हालत में कोई सुधार आने वाला नहीं है ।

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, कल इसी सदन में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इस देश के जो कपड़ा मजदूर है उन बुनियादी वेतन के बारे में आंकड़ रखे और उन के उत्तर के अनुसार अहमदाबाद में वे कपड़ा मजदूरों को बुनियादी वेतन 38 रुपये दे रहे हैं । बम्बई में 40 रुपये दे रहे हैं और बनर्जी साहब के कानपुर में 38 रुपये दे रहे हैं। मुझे याद है कि वे दो वेज होने के पहले बम्बई में कपड़ा मजदूरों का वेतन 30 रुपये था। तो 26 वर्षों में आपने सिर्फ दस रुपये उन के वेतन में वृद्धि की हैं ।

एक अलग हिसाब से आप मंहगाई भत्ते के बारे में कहा है और उसी को लेकर हमारे इस तरफ के कुछ सदस्य हल्ला करते हैं । अब महंगाई भत्ते का आंकडा अहमदाबाद में जो आप ने दिया है वह 256 रुपये 12 पैसे है । बम्बई के लिए 256 रुपये 70 पैसे है । कानपुर के लिए 202 रुपये 14 पैसे है । उस में बाद में जरूर कुछ वृद्धि हुई होगी। अब इस महंगाई भत्ते का क्या मतलब है ? आप को याद होगा कि 1940 में द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के बाद बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने एक हडताल की थी और उस हड़ताल में पहली बार जो महगाई और दान वृद्धि हो रही थी उस के मुआवजे के रूप में यह महगाई भत्ते का सिलसिला शुरू हुआ और एक आप मंहगाई का सूचकांक, इडेंक्स नम्बर तयार करने लगे। तो इन को जो महंगाई भत्ता मिलता है वह केवल उन का जो बुनियादी वेतन है उस का दाम वृद्धि से संरक्षण करने के लिए आप ने दिया है। यह वेतन वृद्धि नहीं है । जो बुनियादी वेतन था वह महंगाई से घटे नहीं, इसलिए आप ने महंगाई भत्ते की प्रणाली को चालू किया । लेकिन जिस ढंग से यह इंडेक्स नम्बर बनाया जाता है उस में बड़ी चाल बाज़ी लेबर मिनिस्ट्री की रहती है । वह क्या करते है कि दुकानों में जाएंगे और पूछेंगे कि चीनी का नियंत्रित दाम, राशन का क्या है । जिस दाम पर चीनी मिलती ही नहीं वह दाम लेंगे। कपड़े का नियंत्रित दाम क्या है ? अब कपड़े का कुल उत्पादन अगर सौ प्रतिशत आप माने तो नियंत्रित कपड़ा केवल दस प्रतिशत है । लेकिन उसका आंकड़ा आप लेंगे। फिर स्टेशन पर जो चाय के कप की कीमत होगी उसमें भी कम कीमत आप पकड़ेंगे चाय के लिए। इस तरह से आप लोग इंडेक्स नंबर तैयार करते वें । इसलिए स्वयं मैंने 1963 में पहल कर के इंडेक्स नम्बर में यह जो फ्राड हो रहा है उस के खिलाफ बम्बई में 15 लाख मजदूरों की हड़ताल कारवाई थी । उस के फलस्वरूप लकड़ावाला कमेटी बैठी और उस ने इंडेक्स नम्बर में जो फ्राड चल रहा है उस का आंशिक इलाज किया। पूरा नहीं, आंशिक इलाज

[श्री मधु लिमये]

किया। उस के चलते आठ साड़े आठ रुपये महंगाई भत्ते में उस समय वृद्धि हुई। फिर दूसरे केन्द्रों में हुई जिस के चलते बनर्जी साहब का केन्द्रीय महंगाई भत्ता भी कुछ बढ़ गया। लेकिन आज तकरीबन 10 साल हो गय है, इण्डेक्स नम्बर इकटठा करन में बड़ा फ्राड हो रहा है, बीच में तो 38 पाईंट से भी अधिक गिरावट आ गई थी शायद नागपुर म ऐसे हुआ था। उस समय महाराष्ट्र असेम्बली की बैठक नागपुर में हो रही थी, वहां यह मामला आया था। सभी लोग महसूस कर रहे है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपका इण्डेक्स नम्बर 38 पाईंट भी नीचे गिर जाता है।

म यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे मित्र खेतिहर मजदूरों की चर्चा करते है तो ऐसा लगता है – अगर कोई निष्पक्ष आदमी गैलरीं में बैठा हो तो सोचेगा कि विरोधी दल के लोग ही खैतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने नहीं देते, जैसे हम रास्ते में रोड़ा अटका रहे हों, लेकिन हम तो लगातार मांग कर रहे है कि न्यूनतम मजदूरी तथा खेती माल के दामों को तय करो और उन को कार्यान्वित भी करो। हम यह भी मांग करते हैं कि किसानों से जब गेहूं वसूलते हैं, दूसरी चीजें वसूल हैं तो उन के लिये भी उत्पादन खर्च को ध्यान में रखते हुए उचित दाम निर्धारित कीजिये। हम चाहते हैं कि दाम नीति रहे। इस लिये आज मंत्री महोदय इस बहस का उत्तर देते समय मेरे इस आक्षप पर विचार करें कि जो बुनियादी वेतन 40 रुपये बम्बई में और 38 रुपये कानपुर में आप ने निर्धारित किया है इण्डेक्स फ्राड चलते, वह भी वास्तव में आज नहीं मिल रहा है। इस लिये इस प्रस्ताव में जो कहा गया है – फालिंग–रीयल–वेज यानी मजदूरों का असली वेतन गिर रहा है–ऐसा आप क्यों होने देते है यह मे ी समझ में नहीं आता है। अगर जदू वर्ग में से कुछ लोग ऐसे है जो नाजायज फायदा उठाते हैं तो उस के बारे में आप सोचिये, लेकिन मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं लोको में, आइ० ए० सी० में या दूसरे उद्योगों में आज मजदूरों के बीच जो असन्तोष है और हड़तालों का जो सिलसिला चल रहा है उस का एकमात्र कारण है – इस सरकार के पास कोई राष्ट्रीय वेतन नीति नहीं है, आमदनी और खर्चे के बारे में कोई नीति नहीं है, समाज में ऐसे प्रतिशत लोग ऐसे है जो स्मगलिंग के जरिये, चोर बाजारी के जरिये, रिश्वत के जरिये अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन दूसरी और जैसा मैंने एक उदाहरण दिया है— केस स्टडी के तौर पर कपड़ा मजदूरों की चर्चा की है, इस पर आप सोचिये और एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाइये और आमदनी में इतना ही तफर्का रहने दीजिये कि यदि न्यूनतम 100 रुपया करते है तो अधिकतम 1 हजार रुपये से ज्यादा आप किसी को भी पाने न दीजिये। अगर इस तिरह की नीति को कार्यान्वियन करेंगे तो 10 गुना का फर्क बहुत हो जाता है, उस के अन्दर सभी लोगों के वेतन और खर्चे को आप निश्चित रूप से बांट सकते है। क्या सरकार के अन्दर इस तरह की राष्ट्रीय वेतन नीति लागू करने की हिम्मत है अगर हिम्मत नहीं है तो अब समय आ गया है, सरकार हट जाय और दूसरों को मौका दे।

SHRI B. V. NAIK (Kanara) : Sir, I welcome the resolution in spirit and not in the negative sense. There is need for a need-based minimum wage to the workers. The most operative part of our article which deals with living wage is this. Unfortunately, even in our Constitution, the title to article 43 has been put as "Living wage etc." I think it is not in very good taste that the

title of an article in our most respected book dealing with the majority of the population should make a mention of "living wage etc." as though they are some sort of chattel or cattle. It says :

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas."

The last part of it is a part of our hangover of Gandhism in the Indian economic thinking. While it has brought many good things, unfortunately, it has been quoted by the multimillionaires of this country as the principle of trusteeship, a formula which is being used, misused and abused by almost everybody concerned with trusteeship, to the detriment of the people who have to get the benefit. From this point of view, as long as it is a Directive Principle of State Policy, I do not see what objection Dr. Sardish Roy finds because in the Directive Principles there is complete identity with what Dr. Roy wants and what the Government would like to do. The only difference is on the strategy that is to be adopted.

Shri Banerjee stated that every worker should have a minimum wage of Rs. 314 per month. I made a certain arithematical calculation. I am not oblivious of the fact that most of our calculations in public life do not come true. If we are to have a basic need based minimum wage of Rs. 314 per month for the entire population, the total amount of the national product that would be needed in all the sectors of the economy would come to about Rs. 45,216 crores. According to our draft Plan (page 129), the latest publication of the Planning Commission, the gross domestic product, the total national product for the country in 1973-74 will be Rs. 45.050 crores, the same as the total wage bill to the last millimetre.

In no society in the world, to put it in the Marxist jargon, be it in Communist, Maoist or the democratic socialist society, the income of every citizen is equal. What we are seeking to have is an egalitarian society where, while the excellence is not punished, performance is rewarded. If we are to go in for this equality, the excellence of able members of the opposition as well as the Treasury Benches will have to be rewarded with Rs. 314 per month, and I am quite sure it will adversely affect the performance of all of us, because we will come here hungry and poorly dressed. So, let us be practical. The salary of the Secretary in the Government of India is something like Rs. 3,500 or 4,000 while the salary of a peon is Rs. 194. I would not as an employer in a difficult and poor society, grudge to pay a competent worker his adequate requirements. I would completely agree with Shri Madhu Limaye when he said that in this country you grudge Rs. 3,500 for a competent executive in this or that undertaking when the blackmarketeers and smugglers are making lakhs of rupees. In fact, even prostitutes and actors are making a lot of money.

These are the people......

SHRI VASANT SATHE : I protest. He cannot equate actresses with prostitutes. He should not do that. That is wrong.

SHRI B. V. NAIK : If the hon. Member has a soft corner for a particular actress or actresses, I have no objection and I am, therefore, saying, whoever has a creative instinct can be rewarded.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI B. V. NAIK : I am concluding.

I would, therefore, urge that in trying to build up the basic minimum, they should do this. I would request once again, what I have been repeatedly saying, that in the agricultural as well industrial sector let us accept—it is possible to accept—a national consensus of the floor ; let us start with the lowest floor and try to build the floor upwards.

[Shri B. V. Naik]

Then only, I think, it will be possible for us to implement the policy while the desirability is understood.

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : सभापति, जी, कम्यनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने, जो प्रस्ताव रखा है उस के दो हिस्से है। पहला तो यह कि महंगाई की वजह से मजदूरों के दाम, रीयल वेजेज़ घट रही है और दुसरा हिस्सा यह है कि 15वीं लेबर कानफरेंस में, बहुत सालों पहले यह प्रस्ताव पास हो गया कि उन को अपनी जीविका की जितनी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उन को खरीदने के लिये उतनी वेज मिलनी चाहिये जिस से वह उन चीजों को खरीद सकें। मैं कई दफा इस सदन में यह महसूस करता हूं कि इस सदन में शहरों से, मजदूरों मे कारखानों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य काफी तादाद में हैं यह देश की तस्वीर को सिर्फ एक बिन्दु से देखते हैं। जिस ढांचे में यह देश काम कर रहा है अव्वल तो वह उस ढांचे को दिल से नहीं चाहते बल्कि दूसरे सोशल पैटर्न की फिलासफी को मान कर, जिस को दूसरे देशों नें किया है, उस की नकल अपने दिमाग में रख कर छोटे से नुक्तेनिगाह से इस देश में उस फिलासफी को लाना चाहते है और उस के जरिये समाज की रचना करना चाहते है। और जो उन के प्रस्ताव आते हैं वे उसी नजरिये से आते हैं।

इस देश में मजदूर, कारखाने आजादी के बाद भी बढ़े है, पहले भी थे, और भी बढ़ेंगे। मजदूरों की संख्या भी बढ़ेगी । पर उन को यह पता नहीं कि 75 फीसदी लोग इस देश के गांवों में बसते हैं । कभी एक बात भी उन गांवों में रहने वालों के लिये उन के मुंह से नहीं सुनी। और वह करेंगे भी नहीं । जो कभी भमिहीन मजदूर की बात करते भी हैं तो वह भी बेमन से। कभी उस को आर्गेनाइज नहीं करते, उन के नजदीक नहीं जाते क्यों कि गांव मे जाने में पड़ता है। लाउड स्पीकर ले कर फैक्ट्री के पास खड़े हो गये और बोलने लगे और अगर वैसा नहीं होगा तो दूसरे दिन हड़ताल करो। बड़ी सस्ती नेतागीरी करने का तरीका इन को आता है । अपनी फिलासफी यह गांव के लोगों के गले उतार नहीं सकते, भारत के 75 फीसदी लोगों के पास पहुंचे नहीं, उन के दुख दर्द का कभी जिक्र नहीं, केवल मजदूरों का जिक्र करते हैं और सस्ती वाहवादी लटना चाहते है । माननीय बनर्जी यहां रोज बोलते ह कि मजदर गरीब है । अरे इस देश के कितने गरीब लोग गांवों में पड़े हैं जो दिन रात मेहनत करते है, बिजली नहीं, पानी नहीं, कपड़ा नहीं, खाना नहीं, दवा दारू नहीं, उन की बात नहीं करेंगे और देश की आम जनता को झूठे नारों से गुमराह कर के और काम कम करना और पैसा खूब मांगना और न मिले तो सरकार खराब हैं, हड़ताल करो, काम समय पर न करो, रेलें बन्द कर दो, सब चीजें बन्द कर दो, इस तरह की सस्ती राजनीति यह चलाते हैं । या तो आप ईमानदारी से कह दो कि तुम को देश का संविधान मन्जूर नहीं। लेनिन की फिलासफी अच्छी तरह समझा कर हिंसा कर के इस देश को बदलो, ऐसा जाकर लोगों को समझाओ। पर इतनी हिम्मत नहीं । इन के मुह में कुछ है और करेंगे कुछ। क्यों बर्बाद करना चाहते हो देश को। इतने बड़े देश को कभी कम्युनिजम में नहीं बदल सकते। इस देश की संस्कृति मान्यतायें और हैं। यहां का किसान एक एक इंच से मोह रखता है। किसान का नाम आते ही बोलते ह बडें लैंड लार्ड । आप उन की समस्याएं नहीं हल कर सकते क्यों कि आप चाहते ही नहीं कि पैदा हो । तुम तो चाहते हो कि विद्रोह हो। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं, मजदूरों

के बड़े मालिक बनते हो तो तुम तो आई० ए० एस० अफसरों से भी बड़े हो । केवल देश में अशांति हो और इन का मकसद पूरा हो, यही इन का ध्येय है । लेकिन इस बात को खुल कर कहने की हिम्मत नहीं है ।

सीमेंट के कारखाने में काम करने वाले आदमी को 350 रु० मिनिमम वेज, रेलों में काम करने वाले जो लोग हैं उन को कितनी बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन गांव में लोगों की क्या आमदनी है कभी इस को भी आप ने महसूस किया। गांव के लोग इससे आधी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं । लेकिन उन की तरफ किसी का ध्यान नहीं । केवल कारखानों के मजदूरों को भड़काने में ही लगे रहने हैं कि काम न करो, और जो कर रहे है, उन को करने नहीं देना चाहते । हम कहते ह कि खेत के अन्दर खाद चाहिये, लेकिन इन्होंने रेलें बन्द करा दीं। खाद टन टन गोपाल । हमेशा यही गड़बड़ करते रहे हैं। फिर भी किसान धान पैदा करेंगे और सस्ता कर के छोड़ेंगे । उन के बारे में भी फिक्र किया करो खुदा के बन्दो, उन के लिये भी सोचा करो। और उन को बदनाम कर के गालियां न निकालो, वह लोग तुम्हें जिन्दा रखते हैं । आप के यहां एक मजदूर काम करता है और श्रीमती घर बैठे बैठे आनन्द करती है । लेकिन हमारे यहां उस गरीब परिवार का हर आदमी काम करता है । पांच छ वर्ष का छोरा भी खुर्मी ले कर घाव खोद रहा है । तुम्हारे यहां करता है ? उस आदमी की बात करते हो और गांव के गरीब किसान की बात तक नहीं करते उस का नाम तक नहीं लेते । इस सदन का 90 फीसदी समय थोथे नारों पर बर्बाद करते हो, और किसान का नाम नहीं लेना चाहते । माननीय मधु लिमये जी ऐसी समस्यायें उठाते है जिस से उन का अखबारों में रोज नाम आता है । पर इस देश के मूल सवालों की तरफ कभी आप का भाषण नहीं होगा। आप चमत्कारी भाषण करते हो । मैं अकेला सदन का सदस्य नहीं हूं, आप भी जिम्मेदार सदस्य हैं इसलिये देश के अहम मुद्दों को उठाने की कृपा करें। यह सस्ती वाहवाही के प्रस्ताव ला कर क्यों हमारा और सदन का समय बर्बाद करते हो और क्यों देश का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाते हो ।

मैं इस प्रस्ताव के सख्त खिलाफ हूं ।

श्री पन्नालाल बारुपाल (गंगानगर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है न समयानुकूल है और न परिस्थितियों के मुताबिक है । इस के सम्बन्ध में हमारे साथी माननीय मिर्धा ने बहुत कुछ कहा, और वह सही है । हम पूछना चाहते है कि जो यह मांग करते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, सहूलियत दो, तो इन सब बातों के लिये धन कहां से आयेगा ? नारे लगाने से तो धन आने से रहा । धन तो आयेगा मेहनत और परिश्रम करने से, उत्पादन से। वह तो यह लोग करने नहीं देते । जसा माननीय मिर्धा जी ने कहा इन की नीति हमेशा यह रही — चोर से कहेंगे सेंध लगा, धन वाले को कहेंगे तू जाग और कुत्ते को कहेंगे तू भोंक ।

इनकी सदैव से यही पालिसी रही है। मुमरणा माला । हाथ कैंची है खाख में, आग बुझी मत जान, दबी है राख में । ये दोहरी चालें चल रहे हैं । बोल है मोर के, दीखत के हैं सन्त, लक्षण हैं चोर के। ये देश को बरबाद करने वाले लोग हैं । मिर्धा जी ने ठीक ही बातें कही हैं । ये जब कभी कहते हैं डिफेंस में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में ही कहते हैं, रेलवे में काम करने वाले

[श्री पन्नालाल बारुपाल]

कर्मचारियों के बारे में ही कहते है बैंक कर्मचारियों के बारे में ही कहते हैं। ये गरीबों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन खुद करोड़पति बने बैठे हैं। गीत गरीबों के गाते हैं लेकिन स्वयं करोड़पति है। पिछले दिनों बैंकों में हड़ताल हुई थी। मेरे पास एक बैंक कर्मचारी आया, उसने मुझे बताया कि प्रत्येक कर्मचारी से दस रुपये चन्दे के तौर पर लिये गए थे। ये लखपति नही, करोड़पति हैं। ये गरीबों की बात करते हैं लेकिन स्वयं एयर कंडिशंड घरों में रहते हैं, इनके घरों में रेफ्रिजरेटर हैं, टेलीविजन है। ये खेतीहर मजदूरों की बात नहीं करते, घसियारों की बात नहीं करते, लकड़हारे की बात नहीं करते, बिल्डिंग वर्कर की बात नहीं करते कुम्हार की बात नहीं करते, बढ़ाई की बात नहीं करते, पत्थर तोड़ने वाले की बात नहीं करते, हथ करघा बुनकर, मोची आदि की बात नहीं करते। ये बात करते है उनकी जो कुछ संगठित है और उन्हीं की बात करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। जो असली मजदूर हैं उनके बारे मे कुछ पंक्तियां जो कविता में है आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

मजदूर किसान की यही जिन्दगी
वे हंस हंस जीएं झुग्गी में

टूटी खाट और फटे बिस्तर
बर्तन भांडे झुग्गी में

दीप नहीं मन दीप जला कर
रात बिताएं झुग्गी में

मस्त जवानी के मतवाले
मस्ती लेवे झुग्गी में

बहु सास की, सास बहु की
लाज बचावे झुग्गी में

प्रसव वय पीडा से मां
बच्चे जनती झुग्गी में

छोटे बच्चे लोरी सपन संग
लेवे निद्रा झुग्गी में

वर्षा ऋतु की वर्षा में
पानी टपके झुग्गी में

ग्रीष्म काल की गर्मी से
बहे पसीना झुग्गी में

शीतकाल की सर्दी से
मानव ठिठुरे झुग्गी में

मरना परना हंसना रोना
खेल तमाशा झुग्गी में

होली दिवाली भारत के सब
पर्व मनावें झुग्गी में

बीमारी, बेकारी, भुखमरी
पनाह पा रही झुग्गी में

समाजवाद की सच्ची क्रान्ति
आएगी झुग्गी में

गांधी जी के सारे सपने
छिपे हुए झुग्गी में

चुनने वाले जन प्रतिनिधियों को
वोट मिले है झुग्गी में

बारुपाल इंसानियत के सब
दुख दर्द छिपें है झुग्गी में।

इन लोगों के जो दुख दर्द हैं उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, उनकी बात ये नहीं करते हैं। जिन के वोट से चुनकर आते हैं उनकी बात यह नहीं करते हैं। देश को बरबाद करने की जो इनकी स्कीम है वह सफल नहीं होगी।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : जिन्होंनें इस प्रस्ताव को पेश किया है उनको मैं ऐसा करने के धन्यवाद देता हूं। उन्होंनें इंडियन वर्कर की घटती हुई आमदनी को देखा है। मैं उन से दरख्वास्त करूंगा कि वे देखे कि इंडियन वर्कर मे कौन लोग आते हैं। मिर्धा जी ने ठीक ही कहा है और सारा हाउस इस बात को मानता है कि इंडियन वर्कर गांवों में

बसता है । मुझे लोक सभा का सदस्य बने तीन साल हो गए है । मैं छोटे मकानों, कच्चे मकानों, झोंपडी वालों के बीच में रहता हूं । उनके दुख दर्द को जानता हूं । लेकिन मुझे यहां पर हमेशा शहर के क्वार्टरों और शहर की वडी-कोठियों की बात ही सुनने को मिली हैं । अभी वारूपाल जी के भाषण को आपने सुना है । उन्होंने बताया है कि उन झोपडियों में भूखे इंसान रहते हैं, नंगे इंसान रहते हैं और यह ठीक भी है । मैं सहारनपुर जिले से आता हूं। जो कि गंगा जमना के बीच का दोआवे का बहुत अच्छा खाता पीता इलाका है । एक समय जब हम सोशलिस्ट पार्टी में थे तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि देखें कि अपने यहां गांवों में सर्दियों में लोगों के पास कितनी चारपाइयां हैं और कितनी रजाइयां है । हमने तब चार गांवों का सर्वे किया था । हमें पता चला कि अगर घर के अन्दर सात आदमी हैं तो चार चारपाइयां और दो रजाइयां है । सहारनपुर जैसे इलाके में जहां पर हरिजनों और भूमिहीनों के घर में सर्दियों में रजाइयां नहीं मिलती हैं, खाने के लिए दो वक्त का भोजन नहीं मिलता, मिनिमम वेज लिविंग वेज और नीड बेस्ड वेज ये तीनों सब किन के लिए आप चाहते है। उस गांव के मजदूर के लिए जो न मिनिमम जानता है, न लिविंग जानता है और न ही नीड बेस्ड जानता है ? आपको चाहिये था कि आप पहले उसके लिए वहस की मांग करते और उसकी बात सब से पहले करते, उस भूखे इंसान के वास्ते यहां पर बोलते । लेकिन जैसे सोसाइटी के अन्दर कुछ वैस्टिड इंटरेस्ट क्रियेट हो गए है, बडे उद्योगपति और बडे अमीर हो गए है वैसे ही मजदूर जमात में भी जो फेवर्ड लोग हो गए है और उनके लिए जितनी ज्यादा तनख्वाह और एमेनेटीज और फैसिलिटीज की व्यवस्था होती जा रही है उतनी ही मांगें भी बढती जा रही है । बैंक कर्म-चारी जो सब से अच्छे पेड है, एयरलाइंज के कर्मचारी जो ऊंचे पेड है, रेल कर्मचारी जो बहुत अच्छे पेड है हमारे विरोधी दल के लोग उनका मुकाबला क्यों नहीं हिन्दुस्तान के उन तीस करोड इंसानों से करते है जो बिलो पावर्टी लाइन रहते है ?

वेज के बढाने का सवाल सीधा राष्ट्रीय सम्पत्ति से, राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित है, राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी से है, इस देश का सब से बडा उद्योग खेती है जो गांवों में चलता है। हिन्दुस्तान का मतलब ही गांव है । इस सच्चाई को ये क्यों भूल जाते है ? तीन साल से आर्गनाइज्ड लेबर की, वे पे लेबर की बात मैं बहुत सुनता आ रहा हूं और इससे मुझे कष्ट भी हुआ है। मैं मांग करता हूं कि एक कमिशन बनाना चाहिये जो इनक्वायरी करे कि अपोजीशन के जो बडे बडे नेता है उनका लिविंग स्टडर्ड क्या है, उनका अपना स्टेटस क्या है । वे यहां गरीबों की बात करते है (**व्यवधान**) मैं यह सब के लिए नहीं कह रहा हूं। जिनके लिए कह रहा वे खुद समझ जायेंगे ।

हमारे देश का सब से बडा उद्योग खेती है । कारखानों और खेती का घनिष्ट सम्बन्ध है । खेती से कारखाने चलते हैं और कारखानों मे खेती चलती है । अभी मिर्धा जी ने बताया है कि जब हमारे यहां बोने का समय आया तो खाद हमारे पास नहीं थी। राशन की दुकानों को देने के लिए अनाज नहीं है । क्यों हडताल करवाते है रेलों में समझ में नहीं आता है (**व्यवधान**) अगर कोई बात कहते हो तो सुनने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। हम सुना करते थे कि हडताल अगर करनी होगी तो उसके लिए नोटिस दिया जाएगा, एक अवधि दी जाएगी

[श्री मुल्की राज सैनी]

और उसके खत्म होने पर ही हड़ताल होगी लेकिन अब अलग अलग नाम निकले है, लाइटनिंग स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, 24 घंटे के नोटिस की स्ट्राइक, हम गांवों में कहते थे जो किसानों के पास नौकर काम करते थे कि उसका कोई समय नहीं होता है जाने का, रोटी खाने गया तो लौट कर नहीं आया। हम उसको कहते थे कि नोटिस तो दिया नहीं और आपकी मिसाल हम उसको देते थे। आप नोटिस दिया करते थे। अब आपने तय कर लिया है कि वह भी न दिया जाए। जैसे किसान का नौकर चादर उठा कर चला जाता है वैसे ही आपने भी कर दिया है। यह कौन सी डेमोक्रेसी है, कैसा यह ट्रेड यूनियन मूवमेंट है और किस देश में ऐसा हो रहा है। क्या चीन और रूस में हो रहा है। वहां अगर आप ऐसा करते तो आपको गोलियों से उड़ा दिया जाता। यहां जो डैमोक्रैसी है उसका आप बेजा फायदा उठा रहे है। गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है, फेवर्ड के लिए होता है। जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, पांच सौ, हजार या दो दो हजार वही हड़ताल कर रहे है। गरीबों की न कोई आवाज है और न उनका संगठन है, न उनको कोई उठाने वाला है। मेरी दरख्वास्त है कि इंडियन वर्कर के अन्दर उस वर्कर को ले आओ, जो खेत किसान है, खेत मजदूर है और उसकी आमदानी बढाओ। देश की जो पिछडी हुई, दबी हुई, शोषित जनता है उसको शामिल इसमें कर लो। यदि आपने ऐसा किया और इस तरह से आप चले तो आप इस तरह का अधूरा रेजोल्यूशन ला कर उस पर बहस नहीं करेंगे बल्कि सारे राष्ट्र की आय को देख कर, राष्ट्र की प्रोडक्शन को देख कर उसका बंटवारा सही सही आप करेंगे। जब आप उसको देखेंगे तो शायद आप अपने को गलती पर पाएंगे।

17.39 hours

MOTION RE: CONTEMPT OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I move:

"This House resolves that the persons calling themselves Shyam Charan and Ram Murti Pandey who shouted from the Visitors' Gallery and attempted to throw some leaflets from there on the floor of the House at 12.02 hours today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till 6 P.M. on the 22nd December, 1973 and sent to Central Jail, Tihar, New Delhi."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, this Resolution should have been circulated. If they want to be fair and if somebody comes to ventilate his grievance in a peaceful manner in the Gallery, although I do not say it is desirable and although I do not say that this should be encouraged, the House cannot take a vindictive attitude.

So, my amendment is:

"That the person involved be set free at once".

I shall tell you something more. This is a House of the representatives of the people and you know that in the last few years Section 144 has gone on extending. A demonstration comes, as we have seen to-day, the Delhi Teachers' agitation came, but it could not come to Lok Sabha. It has become a *para-lok Sabha* and it is no longer the Lok Sabha because people cannot come here. Therefore, I move that instead of these gentlemen being detained till 6 p. m. tomorrow, they be set free at once.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Two gentlemen.